कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांकः– 1991/11–सी–FP/UP/Trans/144301/2021, लखनऊ, दिनांकः जनवरी 04 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।

विषयः– जनपद–झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाईड्रिल कालोनी सिविल लाइन, झांसी द्वारा 33/11 के0वी0एम0ई0एस0 बबीना 220 के0वी0 की नई विद्युत (डबल लाईन) के निर्माण कार्य में झांसी–ललितपुर मार्ग की प्रभावित 0.0555 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बबीना पन्ती के सेंधनी आरक्षित वन ब्लाकों की प्रभावित 2.448 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 2.5035 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 391 वृक्षों की शाखा तरासी की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–1737/33–1, दिनांक 13.12.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव गें संलग्न किया गया लीज अवधि प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें तथा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न नहीं है।
3. मानक शर्तो के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता प्रमाण–पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
4. प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक–1428/11–सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र, जो वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं किया गया है।
5. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है। अतः पत्रांक व दिनांक युक्त जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
6. प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु गजट नोटिफिकेशन पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है तथा सभी प्रस्तावित स्थल चिन्हित भी नहीं किये गये है।
7. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि फीड नहीं की गयी है।
8. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल के kml file के स्थान पर प्रस्तावित वनभूमि से सम्बन्धित kml file अपलोड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलिट कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की kml file अपलोड करे।
9. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(ii) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन, क्रमांक–13(iii) में Geo Referenced Digital Map, क्रमांक–13(iv) में SoI Toposheet एवं क्रमांक–13(v) में उपयुक्तता प्रमाण पत्र को अपलोड नहीं किया गया है।
10. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1991 /11–सी–FP/UP/Trans/144301/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड, हाईड्रिल कालोनी सिविल लाइन, झांसी।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-10